1– मैं ग्राम उपरवारा, थाना राखी का निवासी हूं तथा सब्जी बोने और विक्रय करने का काम करता हूं। आरोपी सूरज पटेल, मेरे सगे भाई सियाराम पटेल का लड़का है। तारीख 19, आठवां माह सितंबर, 2017 की बात है। आरोपी मेरे यहॉ उपरवारा आया था। मैं उस समय भाजी को बांध रहा था। आरोपी ने मुझसे कहा था कि कल उसका जन्मदिन था और उसने यह भी कहा कि वह मुर्गा खाना चाहता है, तब मैंने आरोपी से कहा कि आज मंगलवार को गांव में बाजार लगता है, बाजार से मुर्गा लाकर खा लें, फिर भाजी धोने निकल गया और वह मुर्गा लेने चला गया। आरोपी और हम सभी परिवार के सदस्य खाना खाकर सो गये। आरोपी मेरे बड़े लड़के खेमराज पटेल के साथ सोया था। रात को हल्की–हल्की बारीश भी हो रही थी। मैं करीब 03:00 बजे सुबह उठ गया था। मैं भाजी को इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि उसे बेचने के लिये मुझे रायपुर बाजार आना था। मैं रायपुर सुबह 04:00 बजे चला गया था। सूरज पटेल सुबह से उठ चुका था, मैंने उससे कहा कि अभी से क्यों उठ गये हो, तो उसने कहा कि मैं इतनी सुबह उठ जाता हूं और वह टी.वी. देख रहा था।

2– मुझे लगभग 07:00 बजे सुबह जब मैं रायपुर पहुंच गया था, मुझे जानकारी मिली कि लक्ष्मीकांत की तबियत खराब होने की जानकारी दी गयी और मुझसे यह भी कहा गया कि समान बिके अथवा न बिके, मैं तुरंत लौट आउं।

3– मैं जब घर पहुंचा, तो उस समय बहुत बारीश हो रही थी, मुझे घर पहुंचने पर जानकारी मिली कि मेरे लड़के को मार डाला गया है। मेरे लड़के को सूरज

पटेल द्वारा मारे जाने और सूरज पटेल के भाग जाने की जानकारी मिली थी और मेरे लड़के खेमराज पटेल ने मुझे घर आकर बताया था।

4– मेरे लड़के लक्ष्मीकांत के शव का पंचनामा बनाया गया। शव पंचनामा की कार्यवाही हेतु मुझे प्र0पी0 05 की नोटिस मिली थी, जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। शव पंचनामा की कार्यवाही प्र0पी0 06 है, जिसके बी से बी भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। घटना स्थल से पुलिस ने खुन लगी मिट्टी और सादी मिटटी की जप्ती की थी। इस संपत्ति की जप्ती से संबंधित तैयार जप्ती पत्रक प्र0पी0 07 के बी से बी भाग पर बतौर साक्षी मेरे हस्ताक्षर है। घटना स्थल से पुलिस ने एक छाता की जप्ती की थी। जप्ती पत्रक **प्र0पी0 12** है, जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

नोट :– इसी स्तर पर लोक अभियोजक श्री आनंद मोहन ठाकुर ने साक्षी को साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 के तहत सूचक प्रश्न पूछने की अनुमति चाही, जप्ती पत्रक प्र0पी0 12 को देखते हुए अनुमति दी गयी।

5– यह कहना गलत है कि मेरे समक्ष घटना स्थल से एक जोड़ी सेंडल जप्त किया गया था, साक्षी का कहना है कि जप्त किया गया हो, तो मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि मेरे लड़के की हत्या होने के कारण लोगों ने मुझे थोड़ा दूर इसलिये खड़ा कर दिया था कि मैं घबरा न जाउं।

6– यह कहना सही है कि आरोपी सूरज पटेल ने रात के समय खाना खाने के बाद मेरे लड़के लक्ष्मीकांत पटेल को तालाब तरफ चलने के लिये कहा था। उस समय मेरा बड़ा लड़का खेमराज और मेरे मोहल्ले का लड़का माखन पटेल भी गया था। चारों लोग गये थे।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री विराट वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त सूरज पटेल–

7– यह कहना सही है कि आरोपी सूरज पटेल के पिता सियाराम पटेल से मेरा जमीन को लेकर विवाद है। साक्षी स्वतः कहता है कि रात को आरोपी सूरज पटेल ने मुझसे कहा था कि चाचा जमीन के विवाद से उसे कोई मतलब नहीं है, लेकिन

(अभियोजन साक्षी क्र–10 शिवचरण पटेल)

खाता में जो दो लाख रूपये पड़ा है, उसे जल्दी दे दो। यह कहना सही है कि शेष नारायण पटेल का आरोपी सूरज पटेल की मॉ के साथ विवाद हुआ था। मुझे जानकारी नहीं है कि उस झगड़े में कामदेव पटेल भी सम्मिलित था।

8– यह कहना सही है कि सूरज पटेल जब हमारे घर आया था, तब वह शराब पीये हुआ था। यह कहना सही है कि मेरे घर में शौचालय है। यह कहना गलत है कि मिटटी की जप्ती कार्यवाही एवं पंचनामा पर थाना में हस्ताक्षर किया हूं।

9– यह कहना सही है कि दिनांक 19/09/2017 की रात्रि आरोपी सूरज पटेल घर में मेरे लड़के के साथ सोया था। यह कहना सही है कि 20/09/2017 को पूरे दिन तेज पानी गिरता रहा। यह कहना सही है कि मिटटी उठाते समय भी बारीश हो रही थी। यह कहना सही है कि एनआरडीए से जो पैसा मिलता है उसे हम लोग तथा आरोपी सूरज पटेल के परिवार वाले आधा–आधा बांटते है।

नोट :– आज दिनांक 28/03/2018 को प्र0पी0 12 अंकित किया गया।

साक्षी को पढ़कर सुनाया गया। मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही होना स्वीकार किया।

(पंकज कुमार जैन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
स्पेशल जज ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल
ऑफ सी.बी.आई. केसेस,
रायपुर छ.ग.

साक्षी के हस्ताक्षर .....